न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-1 किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी	:	संदीप आनन्द, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
CIS No.	:	93/2026
दांडिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	:	77/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	27/2026, पुलिस थाना, अरांई जिला अजमेर।
अपराध अन्तर्गत धारा	:	303(2), 316(2), 318(4), 345(3) बीएनएस

राजकुमार प्रजापति उर्फ राजू पुत्र श्री रमेश, उम्र 18 साल 08 माह निवासी कुम्हारों की ढाणी, छोटालाम्बा, पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर, हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह अजमेर। प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, किशनगढ़ जिला अजमेर। अप्रार्थी/अभियोजन

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता

उपस्थिति:-

1.श्री जटाशंकर तिवारी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2.श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 17-03-2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिस पर केस डायरी तलब की गई।

2. हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी दामोदर ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि

Authenticated Documents

मेरे छोटे भाई स्व. तोलाराम के नाम एक स्वीफ्ट कार आरजे 42 सीए 4343 को उसके भाई के दोस्त श्री सुशील प्रजापत व दिनेश कुम्हार मांगकर लेकर गये थे, दिनांक 03-01-2026 को शाम तीन बजे करीब उक्त गाडी लापरवाही से चलाने के कारण पलट गई। दिनांक 04-01-2026 को रिपेयर हेतु कार बाजार मे दे दी। उक्त नंबर की गाडी ठीक होने पर दिनांक 03-02-2026 को रिपेयर करवाकर श्री सुशील कुमार व राजू प्रजापत ने अरांई लाकर प्रार्थी को संभला दी। उस समय गाडी की नंबर प्लेट व फास्टेग नहीं था, जिस पर पूछने पर उसने डेमेज हो जाना बताया। तत्पश्चात उक्त गाडी नंबर जो कि गैस किट खराब होने से घर खडी थी, के नंबर आरजे 42 सीए 4343 के फास्टैग से दिनांक 01-02-2026 से ही राशि टोल कटना व गाडी का आना जाना बताया जिस पर जानकारी करने पर उक्त नंबर की प्लेट को किसी अन्य स्वीफ्ट गाडी पर लगाकर कई बार टोल प्लाजा से आने जाने की जानकारी प्राप्त हुई आदि...।

3. उक्त रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस थाना अरांई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 27/2026 धारा 303(2), 318(4), 316(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 10-03-2026 को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किये जाने के पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा एक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 13-03-2026 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने वाहन पर किसी प्रकार का कोई फास्टैग व नम्बर

Authenticated Documents

प्लेट नहीं लगाई है। प्रकरण में किसी टोल नाके की कोई सीसीटीवी फुटेज प्राप्त नहीं की गई है, व ना ही किसी विडियों या फुटेज में प्रार्थी/अभियुक्त नजर आया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया, केस डायरी का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है। मुकामी पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 303(2), 316(2), 318(4), 345(3) बीएनएस का अपराध प्रमाणित माना है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10-03-2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। हस्तगत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार प्रजापति उर्फ राजू पुत्र श्री रमेश, उम्र 18 साल 08 माह निवासी कुम्हारों की ढाणी, छोटालाम्बा, पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर, हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह अजमेर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 25000/- रुपये की दो जमानते व 50,000/- रूपये का मुचलका विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टिप्रद निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करावें तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 27/2026 पुलिस थाना अरांई जिला अजमेर के प्रकरण में जमानत पर

रिहा कर दिया जावे-

1- वह न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर असालतन उपस्थित रहेगा।

2-वह हस्तगत प्रकरण से संबंधित गवाहों को डरायेंगा-धमकायेंगा नहीं।

3-वह इस न्यायालय की अनुमति के बिना भारत देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जावेगा।

9. आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को दिए जाने हेतु जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह अजमेर को जरिए ई-मेल प्रेषित की जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर

10. आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर

SUNIL SONI
Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.03.18 10:42:04 +0530

Authenticated Documents